53 (10) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक बोर्ड का गठन

इस विभाग के दि. 16.3.1992 के कार्यालय ज्ञा. सं. 18(6)/91–जी.एम. में दी गई विद्यमान नीति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक बोर्ड में (i) पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक, जिनकी संख्या बोर्ड के निदेशकों की वास्तविक संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए (ii) सरकारी निदेशक जिनकी संख्या बोर्ड के निदेशकों की वास्तविक संख्या के 1/6 से अधिक नहीं होनी चाहिए बशर्ते कि इनकी संख्या 2 से अधिक कदापि न हो; और (iii) गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक जिनकी संख्या बोर्ड के निदेशकों की वास्तविक संख्या की कम से कम 1/3 होनी चाहिए, शामिल होने चाहिएं।

2. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टॉक बाजार से सूचियन करार संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें कारपोरेट विनियमन संबंधी नया खंड–49 शामिल किया गया है जिसका सार संलग्न है (अनुबंध–I) इसमें यह व्यवस्था है कि गैर–कार्यकारी अध्यक्ष वाली कंपनियों के मामले में बोर्ड में कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिएं और कार्यकारी अध्यक्ष वाली कंपनियों के मामले में बोर्ड में कम से कम आधा संख्या स्वतंत्रा निदेशकों की होनी चाहिए। स्वतंत्रा निदेशकों की परिभाषा खंड–49 में भी दी गई है। सेबी ने यह स्पष्ट करदिया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में सरकार द्वारा अग्रेनीत निदेशकों को निदेशक बोर्ड के गठन के प्रयोजन के लिए स्वतंत्र निदेशक नहीं माना जा सकता तथापि सेबी ने बाद में इस बात पर सहमति दे दी है कि वित्तीय संस्थाओं के नामिती सार्वजनिक क्षेत्र की सूचीबद्ध कंपनियों के स्वतंत्र निदेशक माने जाएंगे। कार्यान्वयन अनुसूची भी इसके साथ संलग्न है (अनुबंध–II)।

3. चूंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी सूचीबद्ध कंपनियों को सेबी के दिशानिर्देशों का अनुपालन कराना होगा इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ सूचीबद्ध उपक्रमों के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है ताकि स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या शामिल की जा सके और सूची से नाम कटने से बचा जा सके।

4. अतः सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि यदि उन्होंने सेबी के दिशानिर्देशों के अनुरूप सार्वजनिक क्षेत्र के सूचीबद्ध उपक्रमों के पुनर्गठन के लिए पहले से कोई कार्रवाई नहीं की है तो वे निर्धारित समय के भीतर उपयुक्त कार्रवाई करें। यदि संस्था के अंतर्नियमों के अधीन स्वीकार्य निदेशकों की अधिकतम संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित उद्यमों को संगत अंतर्नियम में उपयुक्त संशोधन करने की कार्रवाई करने की सलाह दी जाए।

अनुबंध–I

खंड 49 निगम अधिशासन

1. निदेशक बोर्ड

क. कंपनी इस बात पर सहमति देती है कि कंपनी के निदेशक बोर्ड में गैर कार्यपालक निदेशकों के कम से कम पचास प्रतिशत वाले निदेशक बोर्ड में कार्यपालकों और गैर पालकों का इष्टतम संयोजन होगा। स्वतंत्र निदेशकों की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि अध्यक्ष कार्यपालक है अथवा गैर कार्यपालक। गैर–कार्यपालक अध्यक्ष के मामले में निदेशक बोर्ड की कम से कम एक तिहाई संख्या स्वतंत्र निदेशकों की होगी और कार्यपालक अध्यक्ष के मामले में निदेशक बोर्ड की कम से कम आधी संख्या में स्वतंत्र निदेशक होने चाहिएं।

स्पष्टीकरण – इस खंड में प्रयोजनार्थ "स्वतंत्र निदेशक" से अभिप्राय वह निदेशक है जो निदेशक का पारिश्रमिक प्राप्त करने के अतिरिक्त कंपनी, उसके प्रवर्तक, उसके प्रबंधन अथवा उसकी सहायक कंपनियों के साथ अन्य कोई वास्तविक मौद्रिक संबंध या लेन–देन नहीं रखता, जो निदेशक मंडल के निर्णय में निदेशक के निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। सरकारी कंपनियों के मामले को छोड़कर कंपनियों के निदेशक मंडल पर संस्थात्मक निदेशकों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में समझा जाना चाहिए चाहे संस्था निदेशक संस्था हो अथवा ऋणदाता संस्था।

ख. कंपनी इस बात पर सहमति देती है कि कंपनी की तुलना में गैर कार्यपालक निदेशकों के मौद्रिक संबंध अथवा लेन देनों को वार्षिक रिपोर्टों में प्रकट किया जाना चाहिए।

अनुबंध–II

कार्यान्वयन अनुसूची

सूचीकरण करार में नीचे दी गई कार्यान्वयन अनुसूची के अनुसार उपर्युक्त कार्यान्वित किए जाने होंगे–

- सूचीकरण के समय पहली बार सूचीकरण कराने वाले सभी संगठनों द्वारा
- ऐसे सभी संगठनों, जिन्हें दिनांक 1 जनवरी, 2000 को या तो बी एस ई के समूह 'क' के अथवा एस एंड पी सी एन एक्स निफ्टी सूचकांक में शामिल किया जाता है, द्वारा वित्तीय वर्ष 2000–2001 के भीतर परंतु 31 मार्च 2001 तक नहीं। तथापि सिफारिशों का पालन करने के लिए इन कंपनियों को यथा संभव शीघ्र कार्यान्वयन की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी।
- उन सभी संगठनों जो 10 करोड़ रूपए और अधिक चुकता शेयर पूँजी अथवा कंपनी के इतिहास में किसी भी समय 25 करोड़ रूपए या अधिक निवल मूल्य सहित इस समय सूचीबद्ध हैं, द्वारा वित्तीय वर्ष 2001–2002 के भीतर परंतु 31 मार्च, 2002 तक।
- सभी अन्य संगठन, जो इस समय 3 करोड़ रूपए और अधिक चुकता शेयर पूंजी सहित सूचीबद्ध हैं द्वारा वित्तीय वर्ष 2002–2003 के भीतर परंतु 31 मार्च, 2003 तक।
- अनुबंध–3 में दी गई गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं के संबंध में उन्हें कंपनी के विवेकानुसार कार्यान्वित किया जाएगा तथापि गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं को अपनाने/नहीं अपनाने का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट के कारपोरेट अधिशासन संबंधी खंड में किया जाएगा।

(डी पी ई का 26 नवम्बर 2001 का का.ज्ञा. सं. 18(6) 2000–जी एम)

****